

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
12/67/2017

प्रवेश तिथि  
01-05-2017

निर्णय दिनांक  
30-01-2019

01- रामकिशोर पुत्र रामप्रसाद जाति गुर्जर निवासी ग्राम सैंथली तहसील रामगढ, जिला अलवर राज०  
अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ  
दिनांक 08.03.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू०  
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 220/2017

उपस्थित:-

01-श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल

-वकील अपीलाण्ट

-:निर्णय:-

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 08.03.2017 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को ग्राम सैंथली की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1/1.27 है० के 0.13 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ० को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम सैंथली की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1/1.27 है० के 0.13 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 06.03.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलाण्ट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलाण्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलाण्ट ने आदेश दिनांक 08.03.2017 के विरुद्ध दिनांक 01.05.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 01.05.2017 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडना बताया गया है तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने का निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 15.09.2017 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट तहसीलदार रामगढ को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित की जाती है कि विवादित आराजी की जांच संबंधित गिरदावर से करावे और अगर विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण पाया जाता है तो उसके विरुद्ध एल आर एक्ट के तहत 91(6) के तहत कार्यवाही की जावे। वकील अपीलाण्ट को हिदायत दी जाती है कि वो दिनांक 27.02.2019 को तहसीलदार रामगढ के न्यायालय में उपस्थित होंगे। नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर अपीलाण्ट की तामील मानी जावेगी।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30-01-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओ०पी०जे०)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राजस्थान)